Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 20, Issue No. 4, October-2023, ISSN 2230-7540

भारतीय राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संघर्ष और क्रान्तिकारी सुखदेव

आरती*

शोध छात्र, इतिहास विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

सार - भारतीय राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में क्रान्तिकारी सुखदेव ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरू के साथ 23 मार्च 1931 को अपनी मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए शहादत दी थी। उनके बलिदान को आज भी सम्पूर्ण भारत में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बचपन से ही सुखदेव भारत की आजादी का सपना पाले हुए थे। इसी दिशा में सुखदेव ने अनेक क्रान्तिकारियों गतिविधियों में भाग लिया जैसे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, असेम्बली बम कांड विषय में जो गुप्त बैठकें हुई थी उसमें भगत सिंह के नाम का सुझाव देने वाला सुखदेव ही था। वहीं दूसरी तरफ शिव वर्मा ने सुखदेव के विषय में अपनी पुस्तक 'संस्मृतियां' में इस प्रकार लिखा कि, ''एक संगठनकर्ता के नाते भगत सिंह की अपेक्षा सुखदेव मुझे कहीं अधिक जँचा। सही अर्थो में अगर भगत सिंह सभा का राजनैतिक नेता था तो सुखदेव उसका संगठनकर्ता था।

संकेत शब्द - लाहौर षड्यन्त्र केस, जतिन दास, ट्रिब्यूनल, भूख हड़ताल।

----------------------------------X----------------------------------

भूमिका

19वीं शताब्दी के उतरार्ध में भारत में साम्राज्यवाद विरोधी राजनैतिक चेतना का उदय हुआ। परिणामस्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात् राष्ट्रवादी भावनाएँ तेजी से बढ़ने लगी। 20वीं शताब्दी तक आते-आते भारत में तीन मुख्य राजनीतिक धाराओं का प्रादुर्भाव हुआ जिनमें उदारवादी, अतिवादी तथा क्रान्तिकारी धाराएँ शामिल थी। भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन का उदय दो चरणों में पूर्ण हुआ था। पहले चरण में क्रान्तिकारियों के पास कोई स्पष्ट दर्शन नहीं था, वे मुख्यतः व्यक्तिगत हिंसा पर ज्यादा बल देते थे।

मगर दूसरे चरण के क्रान्तिकारियों ने साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन को नए ढंग से आगे बढ़ाया। इस चरण के क्रान्तिकारी शोषण पर आधारित समूची व्यवस्था को बदलकर समाजवादी भारत की स्थापना करना चाहते थे। उल्लेखनीय है कि क्रान्तिकारी आन्दोलन के स्वरूप में आ रहे इन परिवर्तनों के पीछे युवा क्रान्तिकारी सुखदेव का भी महत्वपूर्ण योगदान था। सुखदेव ने भारतीय क्रान्तिकारी आंदोलन में एक विचारक व कार्यकर्ता दोनों की तरह से एक चिरस्मरणीय भूमिका निभाई। मथरादास थापर के विचारानुसार सुखदेव को भगत सिंह की तरह बचपन से ऐसा पारिवारिक वातावरण नहीं मिला जो इसे क्रान्तिकारी मार्ग पर अग्रसर होने में मदद करता।

क्रान्तिकारी सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को नौंघरा जिला लुधियाना (पंजाब) में हुआ था।[1] सुखदेव के पिता का नाम रामलाल और माता का नाम रल्ली देवी था।[2] इनके जीवन पर ताया अचिन्तराम का काफी हद तक प्रभाव था जो 'शेरे लायलपुर' के नाम से प्रसिद्ध थे। यद्यपि क्रान्तिकारी सुखदेव का जीवनकाल बहुत ही कम रहा किन्तु उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में अपना योगदान दिया। वास्तव में सुखदेव ऐसे क्रान्तिकारी थे जिन्होंने उŸारी भारत में मुख्यतयः, पंजाब प्रांत में क्रान्तिकारी गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित किया। जब सुखदेव सनातन धर्म स्कूल में पढ़ रहे थे तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड हुआ जिसके कारण सुंखदेव के मन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ घृणा बढ़ने लगी थी।[3]

1920 में गांधी जी के आह्वान पर सैंकड़ों छात्रों ने स्कूलों व कालेजों का बहिष्कार करके आन्दोलन को गति प्रदान की। जिनमें चन्द्रशेखर आजाद, भगवतीचरण वोहरा, भगत

सिंह, जतिन दास के साथ-साथ सुखदेव भी नजर आए। क्योंकि गांधी जी ने वायदा किया था कि एक वर्ष के अन्दर ही स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली जाएगी। लेकिन आन्दोलन की असफलता के कारण सुखदेव का विश्वास अहिंसक साधनों से उठ गया।[4] अब उन्हें तलाश थी एक नई विचारधारा की जो भारत को स्वतंत्र कराने में सहायक सिद्ध हो सके। भगत सिंह व सुखदेव समाजवादी विचारधारा से काफी हद तक प्रभावित हुऐ और साथ ही साथ क्रान्तिकारी आन्दोलनों को समाजवाद की परिकल्पना से भी जोड़ा जिसके कारण दोनों का साथ अन्त तक बना रहा।5

1924 में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन संघ नामक एक गुप्त क्रान्तिकारी संगठन की स्थापना शचीन्द्र नाथ सान्याल द्वारा की गई। जिसने 9 अगस्त 1925 को काकोरी के समीप सरकारी खजाने को सफलतापूर्वक लूट लिया। सरकार की जवाबी कार्यवाही में रोशन सिंह, अशफाकउल्ला खां, राजेन्द्र लाहिड़ी व रामप्रसाद बिस्मिल को फांसीदी गई।[6] इसके पश्चात् सुखदेव व भगत सिंह ने मिलकर मार्च 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की जो क्रान्तिकारी विचारों को रखने का एक खुला मंच था।

नौजवान भारत सभा के उद्देश्य:

- देश के किसानों, मजदूरों को पूर्ण स्वतन्त्रता दिलाना।
- उन आर्थिक और सामाजिक आन्दोलनों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना जो साम्प्रदायिकता से मुक्त हो।
- भारतीय गणतन्त्र की स्थापना के प्रयास रखना।

इन सबके लिए सुखदेव व भगत सिंह मिलकर योजनाएं बनाते थे और यदि किसी बात के लेकर मतभेद हो जाता था तो दोनों लम्बी-लम्बी बहसें करते थे। शिव वर्मा ने सुखदेव के विषय में अपनी पुस्तक 'संस्मृतियां' में इस प्रकार लिखा कि, ''एक संगठनकर्ता के नाते भगत सिंह की अपेक्षा सुखदेव मुझे कहीं अधिक जँचा। सही अर्थो में अगर भगत सिंह सभा का राजनैतिक नेता था तो सुखदेव उसका संगठनकर्ता था।[7]

सुखदेव व भगत सिंह ने प्रयासों के कारण ही 8 व 9 सितम्बर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के खण्डहरों में 'हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातान्त्रिक संघ' का गठन किया गया जिसका वास्तविक उद्देश्य समाजवादी गणतन्त्रात्मक संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। इसी बैठक के दौरान सुखदेव को लाहौर (पंजाब) प्राप्त का अध्यक्ष बनाया गया। संघ की कार्यवाही को गुप्त रखने के लिए अन्य क्रान्तिकारियों की भान्ति सुखदेव का भी छद्म नाम विलेजर रखा गया था। इसी बैठक के दौरान एक केन्द्रीय समिति के गठन की बात की गई जिसमें सुखदेव, शिव वर्मा, कुन्दन लाल जैसे क्रान्तिकारियों को शामिल किया गया। केन्द्रीय समिति का कार्य दल सभी प्रश्नों पर अपना अन्तिम निर्णय देना था।[8]

इसके अतिरिक्त साईमन कमीशन 3 फरवरी, 1928 को बम्बई तथा 30 अक्तूबर 1928 को लाहौर पहुंचा जहाँ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शान्तिपूर्ण जुलूस साईमन कमीशन का विरोध कर रहा था जिसमें सुखदेव, भगत सिंह तथा अन्य साथी भी मौजूद थे।[9] इस विरोध प्रदर्शन में लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय को काफी ज्यादा चोट आई। उन्होंने घोषणा की कि, ''मेरे शरीर पर पड़ी एक-एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में आखिरी कील साबित होगी।''[10] सुखदेव ने देखा कि इस घोषणा को सुनकर पास खड़ा अंग्रेज पुलिस अफसर नील लाला जी का मजाक उड़ा रहा था।[11]

शरीर पर लगे घावों ने लाला जी को काफी कमजोर बना दिया था जिसके कारण 17 नवम्बर 1928 को पंजाब केसरी का देहान्त हो गया। लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए 10 दिसम्बर 1928 को मजंग हाऊस में बैठक बुलाई गई जिसमें सुखदेव, भगत सिंह, आजाद तथा दुर्गा भाभी शामिल हुई। भगत सिंह व राजगुरू ने 17 दिसम्बर को साण्डर्स की हत्या द्वारा लाला जी की मौत का बदला ले लिया। इसी अधिकारी की लाठी से लाला जी को घायल किया था। हत्या के दूसरे दिन लाहौर में लाल रंग के पर्चे दिवारों पर चिपकाए गए जिन पर लिखा था ''जे.पी. साण्डर्स की मृत्यु से लालाजी की हत्या का बदला ले लिया गया''। यह भारतीय नवयुवकों का दायित्व था कि वे लालाजी की हत्या रूपी अपमान का बदला लें..........। हमें एक आदमी की हत्या करने पर खेद है। परन्तु यह आदमी अमानवीय और अन्यापूर्ण व्यवस्था का अंग था जिसे समाप्त करना उतना ही आवश्यक है।[12]

साण्डर्स की हत्या के पश्चात् पुलिस ने नौजवानों की धर-पकड़ बहुत तेज कर दी। क्रान्तिकारियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि भगत सिंह, राजगुरू, आजाद को लाहौर से बाहर सुरक्षित कैसे निकाला जाए। इसके लिए भगत सिंह ने अपने बाल व दाढ़ी कटवा ली और ओवरकोट, पैन्ट पहने एक अंग्रेज के भेष में भगत सिंह, दुर्गा भाभी तथा राजगुरू लाहौर से कलकता की तरफ

www.ignited.in

रवाना हुऐ जिसमें सुखदेव बराबर सहायता कर रहा था।[13] कलकता में रहते हुऐ भगत सिंह ने जतिन दास नामक एक बंगाली क्रान्तिकारी से मुलाकात की और आगरा आकर अन्य साथियों को भी बम बनाने का प्रशिक्षण देने का आग्रह किया। इसके पश्चात भगत सिंह, सुखदेव तथा जतिन दास की सहायता से आगरा में एक बम बनाने की फैक्ट्री लगाई गई। यहाँ चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव के अलावा शिव वर्मा भी मौजूद थे। वास्तव में जो बम बनाऐ गये थे उनके खोल (शैल) सुखदेव ने लाहौर के स्थानीय लौहारों से बनवाऐ थे।[14]

बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् अलग-अलग प्रान्तों में भी बम कारखाने स्थापित किऐ गये जिसमें लाहौर की कश्मीरी बिल्डिंग में सुखदेव ने बम फैक्ट्री स्थापित की।[15]

क्रान्तिकारियों द्वारा बनाऐ गये बमों का प्रयोग भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेम्बली हाल में किया जब ब्रिटिश सरकार दो कानूनों (पब्लिक सेफ्टी बिल तथा टेड डिस्प्यूट बिल) द्वारा भारतीयों के शोषण की प्रक्रिया तीव्र करने जा रही थी। असेम्बली बम काण्ड की सजा के तौर पर दोनों अभियुक्तों को आजन्म कारावास दिया गया।[16]

साण्डर्स हत्या तथा असेम्बली बम काण्ड के पश्चात् पुलिस नवयुवकों पर बराबर नजर रखे हुई थी। 14 अप्रैल 1929 को जयगोपाल व सुखदेव की मुलाकात हुई जिसके बाद दोनों कश्मीरी बिल्डिंग में गये। 15 अप्रैल, 1929 की सुबह कश्मीरी बिल्डिंग पर पुलिस ने छापा मारा जहां सुखदेव की व्यापक तलाशी ली गई जिसके कारण उसकी हालत बिगड़ गई। वास्तव मे सुखदेव ने तलाशी के दौरान जेब में रखा कागज निगल लिया जो काफी महत्वपूर्ण था।[17]

लाहौर बम फैक्ट्री से जो सामान बरामद किया गया उनमें 8 बम शैल, 18 कारतूस, एक रिवाल्वर, 5 किताबें, दो दस्ताने जो कि छोटे से टिन के डिब्बे में चूने से लथपथ थे। इसके अतिरिक्त 1925 में छपी 6 इश्ताहारों की कापियाँ भी बरामद की गई जिन्हें क्रान्तिकारी पेपर्स कहा जाता था।[18]

सुखदेव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातान्त्रिक संघ के केन्द्रीय कार्यालय सहारनपुर पर 13 मई 1929 को छापा मारा जिसमें शिव वर्मा, जयदेव कपूर गिरफ्तार किऐ गये। फणिन्द्र घोष तथा जतिन दास को कलकता से गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया। इस तरह लाहौर में जिन क्रान्तिकारियों पर मुकद्दमा चलना था उनमें भगत सिंह, सुखदेव, जतिन दास, शिव वर्मा प्रमुख थे। जयगोपाल, फणीन्द्र घोष तथा हंसराज गिरफ्तारी के बाद सरकारी गवाह बन गये थे।[19]

सुखदेव की गिरफ्तारी के पश्चात् पुलिस द्वारा उन्हें आगरा स्थित हींग की मण्डी तथा नाई की मण्डी वाले स्थानों की पहचान करने के लिए ले जाया गया।[20] सुखदेव पुलिस को उलझाकर रखना चाहता था ताकि दूसरे साथी सतर्क हो जाऐं। इस तलाशी में पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिला।

इसके पश्चात् सैण्ट्रल जेल लाहौर में 10 जुलाई 1929 को स्पैशल जज पंडित कृष्ण की अदालत में लाहौर षडयंत्र केस की सुनवाई प्रारंभ हुई।[21] जो साण्डर्स हत्या, असेम्बली बम काण्ड, लाहौर व सहारनपुर फैक्ट्रियां स्थापित करने, बिहार, उड़ीसा में डकैती और अन्य क्रान्तिकारी गतिविधियों से सम्बन्धित था। अन्य क्रान्तिकारियों को राजा के खिलाफ संघर्ष करने के अपराध में जबकि भगतसिंह, राजगुरू व सुखदेव तीनों को साण्डर्स वध में भी शामिल किया गया जैसे ही अभियुक्तों को अदालत में लाया गया उन्होंने 'इंकलाब जिन्दाबाद', 'साम्राज्यवाद का नाश हो' के नारे लगाये।[22]

यहां बताना आवश्यक है कि जब भगतसिंह, बी.के. दत्त को अदालत में लाया गया तब दोनों क्रान्तिकारियों को भूख हड़ताल पर किऐ हुऐ 25 दिन हो चुके थे। भूख हड़ताल इस कारण की गई थी कि साधारण यूरोपियन्स व एंग्लो इण्डियन को भारतीय क्रान्तिकारियों की तुलना में ज्यादा सुविधाएं दी हुई थी। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही थी। इस पर क्रान्तिकारियों ने कहा कि हमें भी भूख हड़ताल आरम्भ कर देनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप 13 जुलाई, 1929 को क्रान्तिकारियों ने ऐतिहासिक भूख हड़ताल आरम्भ कर दी। इस विषय पर जतिन दास ने कहा कि ''आज हम एक ऐसे संघर्ष में उतर रहे हैं जो एक मायने में रिवालवर की गोली से कहीं अधिक कठिन है।'' सुखदेव ने कहा कि भूख हड़ताल और सत्याग्रह गांधी व कांग्रेस के हथियार हैं।[23] लेकिन अन्य साथियों के साथ सुखदेव ने भी बड़े उत्साह से भूख हड़ताल में भाग लिया। 26 जुलाई को कोर्ट स्थगित कर दी गई। क्योंकि कुछ अभियुक्त भूख हड़ताल के कारण अदालत में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं थे।[24]

इसी बीच सरकार ने क्रान्तिकारियों को जीवित रखने के लिए जबरदस्ती दूध व दवाईयां देनी आरम्भ करवा दी जिसके कारण क्रान्तिकारियों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव

किया जाता था। जतिन दास ने 13 सितम्बर, 1929 अपने अनशन के 63वें दिन शहादत प्राप्त की। जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने क्रान्तिकारियों की मांगों पर ध्यान देने की बात की।[25] 14 सितम्बर को पण्डित मोतीलाल नेहरू ने केन्द्रीय असेम्बली में स्थगन प्रस्ताव पास करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार ने अमानवीय व्यवहार की चरम सीमा लाँघ दी। जिस प्रकार जब रोम जल रहा था तो नीरो वायलिन बजा रहा था। ठीक इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार तो नीरो से भी आगे निकल गई जो नवयुवकों की मृत्यु-शैय्या पर बैठकर वायलिन बजा रही थी।[26]

लेकिन सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करने वाली थी जिससे क्रान्तिकारियों को अपनी विजय दिखाई दे सके लिहाजा अदालत की कार्यवाही धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। 8 फरवरी 1930 तक अदालत की कार्यवाही स्थगित रही पंडित कृष्ण की अदालत में 9 महिनें ही कार्य हो सका। इस दौरान 607 गवाहों में से 165 गवाहों के ब्यान ही दर्ज हो सके।[27]

सरकार जल्द से जल्द क्रान्तिकारियों से छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए 1 मई 1930 को लार्ड इरविन ने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें कहा गया कि मुकद्दमे की गति को देखते हुऐ यह जरूरी हो गया है कि भारत सरकार अधिनियम 72 के अन्तर्गत एक अध्यादेश जारी हो जो लाहौर षड्यंत्र केस अध्यादेश 1930 के नाम से जाना जाएगा। इस अध्यादेश के जारी होते ही पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक ट्रिब्यूनल का गठन करना था जिसमें तीन सदस्यीय कमेटी की व्यवस्था थी। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती थी।[28]

लाहौर षड्यंत्र केस पुन्ज हाऊस लाहौर में 5 मई 1930 को स्पैशल ट्रिब्यूनल के सामने आरम्भ किया गया। मिस्टर जस्टिस जे. कोडलस्ट्रीम इसके अध्यक्ष थे, मिस्टर जस्टिस आगा हैदर और जस्टिर डी.सी. हिल्टन इसके सदस्य थे। केस की सुनवाई के पहले दिन सभी 18 अभियुक्त अदालत में उपस्थित थे। ट्रिब्यूनल ने सुखदेव, राजगुरू व भगत औरअन्य सभी क्रान्तिकारियों से पूछा क्या वे सरकारी खर्च पर अपनी सफाई पेश करने के लिए वकील चाहते हैं? लेकिन क्रान्तिकारियों ने साफ इन्कार कर दिया।[29]

स्पैशल ट्रिब्यूनल ने गवर्नर जनरल के अध्यादेश 3ए 1930 के तहत लाहौर षडयंत्र केस में शामिल सुखदेव व 14 अन्य के खिलाफ क्रान्तिकारी गतिविधियाँ आयोजित करने के आरोप लगाऐ। लाहौर षडयंत्र केस के अभियुक्तयों को ए व बी श्रेणी में बांटा गया। इसके पश्चात 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार ने जेल में ही आकर फैसला सुनाया।[30]

15 अभियुक्तों में से 12 को दोषी पाया गया जिसमें भगत सिंह व राजगुरू को हत्या और राजा के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के लिए भारतीय दण्ड अधिनियम की धारा 302, 121 व विस्फोटक अधिनियम 4बी के तहत जबकि सुखदेव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 121, 109 और 120बी तथा विस्फोटक अधिनियम के तहत फांसी की सजा सुनाई गई।[31]

फैसले में सर्वाधिक आरोप सुखदेव पर लगाऐ गये जिसे सरकार अपना सबसे बड़ा शत्रु मानती थी। सुखदेव को लाहौर षडयंत्र केस का दिमाग जबकि भगत सिंह दाया हाथ बताया गया। लाहौर बम फैक्ट्री का सीधा सम्बन्ध सुखदेव से जोड़ा गया।[32]

क्रान्तिकारियों की फांसी के लिए 27 अक्तबूर 1930 का दिन रखा गया था। किन्तु निश्चित दिन पर फांसी न हो सकी तो 16 फरवरी 1931 को वायसराय के निजी सचिव को एक तार भेजा गया जिसमें बताया गया कि इन तीनों को फांसी देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस सन्दर्भ में सैक्शन 381, 400 व सूची 35 की धारा 5 का हवाला दिया गया। परन्तु सरकार ने इन सभी अपीलों को अस्वीकृत कर दिया और अपने फैसले को बरकरार रखा।[33] 17 मार्च 1931 को गृह सरकार दिल्ली ने सभी प्रान्तीय सरकारों को सूचित किया कि तीन अभियुक्तों (भगत सिंह, राजगुरू व सुखदेव) की दया याचिका खारिज कर दी गई है, हो सकता है 23 मार्च से पहले पहले फांसी दे दी जाएगी। इस सूचना को फिलहाल गुप्त रखा जाऐ।[34]

23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरू को फांसी दे दी गई। सरकार के कर्मचारियों ने रात को ही तीनों क्रान्तिकारियों का अन्तिम संस्कार कर दिया। 24 मार्च, 1931 की सुबह लाहौर में विभिन्न स्थानों पर जिला जज की तरफ से इश्ताहार लगवाऐ जिनमें तीनों क्रान्तिकारियों को कल शाम फांसी देने की बात की गई थी। यह खबर सुनते ही सारे हिन्दुस्तान में हड़ताल का आयोजन किया गया। बहुत से पर्चे बांटे गये जो तीनों क्रान्तिकारियों की देशभक्ति से सम्बन्धित थे।[35]

निष्कर्ष

अन्त में यह उभर कर आती है कि क्रान्तिकारी सुखदेव का भारतीय राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में एक प्रमुख स्थान है जिसमें उन्होंने यह विचारक और कार्यकर्ता दोनों की भूमिका को निभाया था। जैसा कि सर्वविदित है कि सुखदेव को अन्य क्रान्तिकारियों की भांति ऐसा पारिवारिक वातावरण नहीं मिला था जो उन्हें स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए क्रान्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करता किन्तु उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों एवं दृढ़ इच्छाशक्ति द्वारा स्वयं अपने लिए मार्ग बनाया। इसके अतिरिक्त नौजवान भारत सभा, हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातान्त्रिक संघ की स्थापना में भी सुखदेव मुख्य भूमिका में नजर आए थे। सबसे मुख्य बात यह थी कि असेम्बली बम काण्ड में भगत सिंह के नाम का सुझाव देने वाले क्रान्तिकारी सुखदेव ही थे जिसको लेकर दोनों के बीच काफी मतभेद भी हो गया था लेकिन दोनों के आपसी मतभेद से कहीं ज्यादा भारत की स्वतन्त्रता मायने रखती थी। जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरू के साथ 23 मार्च 1931 को अपनी शहादत दी। उनके बलिदान को आज भी सम्पूर्ण भारत में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उल्लेखनीय है कि क्रान्तिकारी आन्दोलन के घटनाक्रम व क्रान्तिकारियों द्वारा किऐ गये निर्भीक कार्यों का अध्ययन करते हुऐ यह बात साफ हो जाती है कि अन्य क्रान्तिकारियों की भान्ति सुखदेव में आत्मविश्वास, लग्न तथा देशभक्ति की भावना कम न थी।

सन्दर्भ सूची

1. थापर, मथरादास, मेरे भाई शहीद सुखदेव, प्रवीन प्रकाशन, नई दिल्ली, 1992, पृ. 29
2. लाहौर षडयंत्र केस प्रोसीडिंग्स, पृ. 188
3. थापर, मथरादास,पूर्व उद्धृत, पृ. 35
4. वही, पृ. 40
5. देओल, जी.एस.,शहीद-ए-आजम भगत सिंह, दीप प्रकाशन, लुधियाना, 1997, पृ. 14
6. टेरोरिज्म इन इण्डिया, पृ. 71
7. वर्मा, शिव,संस्मृतियां, लोक प्रकाशन गृह, नई दिल्ली, 2007, पृ. 93
8. दी ट्रिब्यून, 15 जनवरी, 1930
9. देओल, जी.एस.,पूर्व उद्धृत, पृ. 32
10. बक्शी, एस.आर.,रिवोलयूशनरी एण्ड द ब्रिटिश राज, एटलांटिक पब्लिशर एण्ड डिस्ट्रीब्यूटरस, नई दिल्ली, 1988, पृ. 49
11. यशपाल, सिंहावलोकन, (सम्पूर्ण), लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2007, पृ. 204
12. लाहौर षडयंत्र केस प्रोसीडिंग्स, पृ. 28-32
13. देओल, जी.एस.,पूर्व उद्धृत, पृ. 38
14. वर्मा, शिव,पूर्व उद्धृत, पृ. 32
15. पोलिटिकल ट्रब्ल्स इन इण्डिया, एच.डब्ल्यू. हाले, पृ. 62
16. असेम्बली बम केस जजमेंट
17. लाहौर षडयंत्र केस प्रोसीडिंग्स, पृ. 286
18. लाहौर षडयंत्र केस प्रोसीडिंग्स, पृ. 36
19. होम पालिटिकल, फाईल संख्या 192/1929, के.डब्ल्यू.
20. वर्मा, शिव,पूर्व उद्धृत, पृ. 104
21. लाहौर षडयंत्र केस प्रोसीडिंग्स, पृ. 1
22. दी ट्रिब्यून, 12 जुलाई, 1929
23. थापर, मथरादास,पूर्व उद्धृत, पृ. 141
24. बक्शी, एस.आर.,पूर्व उद्धृत, पृ. 66
25. दी ट्रिब्यून, 3 मई, 1930
26. होम पालिटिकल फाईल संख्या 21/63/1929
27. असेम्बली बम केस जजमेंट
28. दी ट्रिब्यून, 6 मई, 1930
29. बक्शी, एस.आर.,पूर्व उद्धृत, पृ. 70
30. दी ट्रिब्यून, 7 अक्तूबर, 1930

31. दी ट्रिब्यून, अक्तूबर, 1930

32. होम पालिटिकल, फाईल संख्या 4/21/1931

33. होम पालिटिकल, फाईल संख्या 4/20/1931

34. होम पालिटिकल, फाईल संख्या 4/21/1937

35. घोष, काली चरण,द रोल आफ आनरः एनेक्डोट्स आफ इण्डियन मार्टियर्स, विद्या भारती, 1965,पृ. 410

Corresponding Author

आरती*

शोध छात्र, इतिहास विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र